न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

मुकदमा नंबर 43/2016 प्रार्थना पत्र 212आर0टी0एक्ट तारीख रजू 24–04–2016

उनवान

1–कालूराम पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी धमूण तहसील सवाई माधोपुर
2–बुद्धिप्रकाश पुत्र हनुमान जाति मीना निवासी धमूण तहसील सवाई माधोपुर
3–तुलसा बेवा हनुमान जाति मीना निवासी ग्राम धमूण तहसील सवाई माधोपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1–कन्हैया पुत्र प्रभु जाति मीना निवासी धमूण तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2–मसकंधा उर्फ किसकंधा पुत्री कजोड पत्नी बृजमोहन मीना निवासी धमूण तहसील व स0माधोपुर
3–पार्वती बेवा कजोड जाति मीना निवासी धमूण तहसील व जिला सवाई माधोपुर
4–अनोखी देवी बेवा धूलीलाल मीना निवासी धमूण तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5–गडूल पुत्र प्रभु जाति मीना निवासी धमूण तहसील व जिला सवाई माधोपुर
6–हसंराज पुत्र लटटूराम जाति मीना निवासी जीनापुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
7–कैलाशी पत्नी मुरारीलाल जाति मीना निवासी धमूण तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8– तहसीलदार, लैण्ड होल्डर सवाई माधोपुर
9–उप पंजीयक सवाई माधोपुर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय **दिनांक : 27–05–19**

पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उभय पक्षो की बहस सुनी गई । संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1लगा0 5 ग्राम धमूण के रहने वाले है । अप्रार्थी सुं0 1लगा0 5 के पूर्वज रगां थे जिनके दो पुत्र प्रभु एवं गल्या हुए । गल्या का पुत्र हनुमान हुआ था । हनुमान के ही प्रार्थीगण वारिस है । इसी तरह रगां के ही पुत्र प्रभु के वारिसान प्रभु पुत्र कन्हैया विपक्षी संख्या 1 है तथा प्रभु का ही पुत्र गडुल विपक्षी संख्या 5 है प्रभु के पुत्र कजोड की मृत्यु हो चुकी है जिसमें कजोड के वारिसान अप्रार्थी सं0 2 एवं 3 है तथा धूली लाल के वारिसान में विपक्षी संख्या 4 है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1लगा0 5 का सजरा भी प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में दर्ज किया है ।

यह कि बंदोबस्त बीस साला के समय उक्त आराजीयात जो कि रगां की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी मे से रंगा के पुत्र प्रभु ने खसरा 32 रकबा 17 विस्वा ,खसरा नंबर 115 रकबा रकबा 9 विस्वा , खसरा नंबर 166 रकबा 15 विस्वा , खसरा नंबर 339 रकबा 16विस्वा , खसरा नंबर 651 रकबा 1बीघा 7 विस्वा ,खसरा नंबर 655 रकबा 2बीधा ,खसरा नंबर 671 रकबा 7विस्वा ,खसरा नंबर 770 रकबा 5विस्वा , कुल किता 11 कुल रकबा 17बीघा

18 विस्वा को अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उक्त आराजीयात में अकेले प्रभु का कोई भी अधिकार नही था ,इस तरह उक्त आराजीयात को रंगा के दोनो पुत्र प्रभु एवं गल्या के नाम लगानी चाहिये को प्रभु ने अपने नाम लगवाली जो कि नियमानुसार गलत है ।

यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1लगा07 द्वारा प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज करने से इंकार कर दिया तथा उक्त आराजीयात को हस्तान्तरित करने की धमकी दी है एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देने पर उक्त न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ ।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस पूर्ण रूप से सिद्ध होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होता है । यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा । अगर दौराने वाद पत्र अप्रार्थीगणो ने विवादित भूमि को रहन ,वय कर दिया या प्रार्थीगण को विवादित भूमि के कब्जे कास्त से महरूम कर दिया तो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट का प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1लगा0 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजीयात को किसी को भी रहन, वय अथवा अथवा किसी भी रूप में हस्तान्तरित नही करे न ही प्रार्थीगण के 1/2 भाग पर प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 5 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया कि विवादित आराजीयात पर अप्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है । उक्त अराजीयात पर बीससाला सेटलमेंट सम्वत 2004 से पूर्व ही उक्त प्रभू पुत्र रंगा का मौके पर कब्जा काश्त था जो उक्त भूमि को काश्त करता था जिस कारण सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मौके पर जॉच कर प्रभू का कब्जा होने से इन आराजीयात की खातेदारी रंगा के स्थान पर पृथक से प्रभू के नाम दर्ज की थी।

उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के वकीलो की बहस पर मनन किया गया।सैटलमेन्ट को किसी की खातेदारी भूमि को कब्जे के आधार पर हस्तान्तरण करने के कोई अधिकार नही है ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणो को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र के मद नंबर 5 में वर्णित खसरा नंबरान को रहन ,वय नही करे तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा् स्थिति ताफैसला वाद पत्र निस्तारण तक बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद पत्र के संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनांक 27–5–19 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.11.14 16:04:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: